

राजस्थान-सरकार
Government Of Rajasthan
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, ब्यावर
OFFICE OF THE MINING ENGINEER, DEPT. OF MINES AND GEOLOGY, BEAWAR
खनिज-भवन / Khanij Bhawan

क्रमांक- खअ/ब्यावर/बजरी/नीलामी/2021-22/395

दिनांक:-22/11/2021

--: प्रेस विज्ञप्ति :-

कार्यालय क्षेत्राधिकार के जिला अजमेर की तहसील ब्यावर व विजयनगर अन्तर्गत जब्तशुदा बजरी स्टॉक की नीलामी हेतु सीलबंद लिफाफे में निविदाएं (दरे) दिनांक 20.12.2021 (सांयकाल 5 बजे) तक कार्यालय खनि अभियन्ता, ब्यावर के कमरा संख्या 01 में आमंत्रित की जाती है। प्राप्त सीलबंद लिफाफे कमेटी द्वारा दिनांक 21.12.2021 को प्रातः 11 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष कार्यालय के कमरा संख्या 02 में खोली जायेगी, जिसका विवरण निम्नानुसार है-

(न्यूनतम आरक्षित दर 450/- प्रति टन)


क्रं. सं.	स्थान का विवरण जहां जप्त बजरी पडी हुई है	बजरी की अनुमानित मात्रा (टनों में)	बयाना/अमानत राशि रु	न्यूनतम निविदा राशि रु
1.	कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, ब्यावर एवं कार्यालय तहसीलदार, विजयनगर जिला अजमेर के परिसर में लगभग 300 टन जब्तशुदा अवैध बजरी स्टॉक।	300	13500/-	135000/-

नीलामी कार्यवाही हेतु शर्तें निम्नानुसार रहेगी:-

1. निविदा सीलबन्द लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी। निविदा कार्यालय खनि अभियन्ता, ब्यावर, (अजमेर) के कमरा नम्बर 01 पर रखे टेन्डर बॉक्स में दिनांक 20.12.2021 (सांयकाल 5 बजे) तक डाली जा सकेगी।
2. प्रत्येक निविदा के साथ उपर वर्णितानुसार बयाना/अमानत राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/ बेंकर्स चैक जो संबंधित खनि अभियन्ता, ब्यावर के नाम हो, निविदा पत्र के साथ संलग्न करना होगा। निविदा राशि 10 रु प्रति टन के गुणक में ही मान्य होगी।
3. निविदा पत्र के साथ इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि निविदादाता या निविदादाता फर्म, फर्म के भागीदारों/कम्पनी, कम्पनी के निदेशकों या उसके परिवार के सदस्यों के विरुद्ध विभाग की कोई राशि वकाया नहीं है।
4. जब्तशुदा बजरी की गुणवत्ता एवं मात्रा का निरीक्षण निविदा प्रस्तुत करने की तिथी से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में संबंधित कार्यालय परिसर/स्थल पर किया जा सकता है। इसकी जानकारी कार्यालय खनि अभियन्ता, ब्यावर के तकनिकी स्टाफ से भी ली जा सकती है।

5. जब्तशुदा बजरी संबंधित कार्यालय खनि अभियंता, ब्यावर/स्थल में जेसी भी जितनी भी, जहां भी है, उसी स्थिति में सफल निविदादाता को सुपूर्द की जावेगी।
6. प्राप्त निविदायें कमेटी द्वारा दिनांक 21.12.2021 को प्रातः 11 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष कार्यालय खनि अभियन्ता, ब्यावर के कमरा नम्बर 01 में खोली जाकर उच्चतम निविदादाता की घोषणा की जावेगी एवं उच्चतम निविदादाता को आदेश पत्र दिया जावेगा। आदेश प्राप्ति के तीन कार्यदिवस में सम्पूर्ण निविदा राशि के डीडी के साथ-साथ संबंधित बजट मद में जमा कराकर चालान की प्रति कार्यालय में जमा करानी होगी। राशि जमा होने की तिथी से 15 एवं अधिकतम 20 दिवस में समस्त बजरी उठानी होगी। अन्यथा जमा अमानत राशि जब्त करते हुए बजरी पुनः राजकीय पक्ष में ले ली जावेगी।
7. निविदादाता को खनिज बजरी के स्टॉक के उठाने की कार्यवाही (लोडिंग, अनलोडिंग, मजदूरी व परिवहन इत्यादि अन्य खर्च) अपने स्तर पर ही करनी होगी। इसमें विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी एवं इस पर होने वाला समस्त व्यय निविदादाता का ही होगा।
8. निविदादाता को पहचान पत्र/फोटो आई डी इत्यादि की प्रति, फर्म के मामले में फर्म का पंजीयन प्रमाण पत्र, भागीदारीनामा एवं मुख्यारनामा यदि जारी किया गया हो तथा कम्पनी के प्रकरण में मेमोरेण्डम ऑफ अर्टिकल, निवेशकों की सूची इत्यादि की प्रति साथ में लानी होगी।
9. निविदादाता को आयकर विभाग के पेन नम्बर की प्रति संलग्न करनी होगी।
10. नीलामी में प्राप्त निविदाओं को स्वीकार/अस्वीकार करने का अन्तिम निर्णय निविदा कमेटी का होगा तथा निविदा से संबंध में यदि कोई उर्ज/आपत्ति होने पर निर्णय करने से संबंधित समस्त सर्वाधिकार निदेशालय द्वारा गठित कमेटी के पास सुरक्षित होगा एवं किसी भी न्यायिक वाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र ब्यावर जिला अजमेर होगा।
11. सफल निविदादाता द्वारा सम्पूर्ण निविदा राशि जमा कराये जाने के उपरान्त कार्यालय खनि अभियन्ता, ब्यावर द्वारा वाहन के वजन क्षमतानुसार रवन्ना जारी किये जायेंगे तथा खनिज के परिवहन की स्वीकृति प्रदान की जावेगी। कोई भी खनिज बजरी से भरा वाहन बिना रवन्ना के निर्गमित नहीं किया जा सकेगा।
12. सफलतम निविदादाता को राशि जमा कराने के पश्चात अधिकतम 20 दिवस में खनिज बजरी उठानी प्रारम्भ करनी होगी व एक ही साथ अधिकतम 7 दिवस में बजरी उठानी होगी।
13. 330 टन खनिज बजरी को एक ही समय पर (अधिकतम 7 कार्यालय दिवस में) वाहनों में विभागीय कार्मिक की उपस्थिति में भरकर व तुलवाकर ही परिवहन किया जा सकेगा।
14. तुलाई के बाद वाहनों के निर्गमन से पूर्व उनका इंद्राज विभागीय कार्मिक द्वारा स्टॉक हेतु संघारित की जाने वाली स्टॉक पंजिका में किया जायेगा तथा कार्यालय द्वारा जारी रवन्ना का विवरण संबंधित अ.ख. अ., ख.अ., ख.अ.(सर्तकता) को भेजा जायेगा।
15. विभागीय कार्मिकों द्वारा नीलाम की गई बजरी के परिवहन में प्रयुक्त विभागीय रवन्ना वाहनों की फोटो एवं कम्प्यूटरीकृत/अधिकृत तुलायंत्र की वजन पर्ची क्षेत्र में संबंधित उपर अंकित अधिकारियों को व्हाट्सअप पर भेजने के पश्चात ही वाहनों को रवाना किया जा सकेगा।
16. नीलामी की गई बजरी का पुनः भण्डारण/परिवहन अनुमत नहीं होगा। सफलतम निविदादाता बजरी को सीधे ही उपयोगिता स्थान पर परिवहन करेगा।
17. स्टॉक पर नियुक्त विभागीय कार्मिक द्वारा स्टॉक की फोटों वाहनों की तोल पर्वियां एवं भरे हुए वाहन की फोटो तत्काल बिना किसी विलम्ब के संबंधित कार्यालय में प्रस्तुत की जायेगी।
18. प्रत्येक स्टॉक को नियत समय में नहीं हटाने पर विभाग पुनः नीलामी कर सकेगा और इसमें सफल निविदादाता को कोई आपत्ति नहीं होगी।
19. सफल निविदादाता द्वारा खनिज के निर्गमन हेतु उपयोग किये जाने वाले वाहनों के पंजीयन की प्रति एवं वाहन चालक के ड्राईविंग लाइसेंस की प्रति संबंधित कार्यालय को प्रस्तुत करनी होगी। खनिज का परिवहन उक्त वाहनों के अतिरिक्त अन्य वाहनों से अनुमत नहीं होगा।

20. खनिज के परिवहन हेतु विभागीय कार्मिक द्वारा स्टॉक स्थल से प्रत्येक वाहन का मैन्युअल रवन्ना जारी किया जावेगा।
21. खनिज के परिवहन में जीपीएस युक्त वाहनों को प्राथमिकता दी जायेगी।
22. शेष सभी शर्तें सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार रहेगी।



खनि अभियंता
खान एवं भू-विज्ञान विभाग
ब्यावर।

क्रमांक:-सम/ 396-413

दिनांक:- 22-11-2021

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, अजमेर।
2. श्रीमान पुलिस अधीक्षक, अजमेर।
3. श्रीमान निदेशक महोदय, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, निदेशालय, उदयपुर।
4. नोडल अधिकारी, डी.एम.जी.ओ.एम.एस., खान एवं भू-विज्ञान विभाग निदेशालय, उदयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त विज्ञप्ति को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने का श्रम करावें !
5. श्रीमान वित्तीय सलाहकार, निदेशालय खान एवं भू-विज्ञान विभाग, उदयपुर।
6. श्रीमान अतिरिक्त निदेशक(खान), जयपुर-जोन, जयपुर।
7. श्रीमान अधीक्षण खनि अभियंता, अजमेर-वृत्त, अजमेर।
8. श्रीमान खनि अभियन्ता, अजमेर।
9. श्रीमान उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर/मसूदा।
10. श्रीमान तहसीलदार, ब्यावर/मसूदा/विजयनगर।
11. श्रीमान पुलिस उप अधीक्षक, ब्यावर, अजमेर।
12. थानाधिकारी, पुलिस थाना, ब्यावर शहर/ब्यावर सदर/मसूदा/विजयनगर।
13. सहायक लेखाधिकारी
14. खनिकार्यदेशक/सर्वेयर कार्यालय हाजा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


खनि अभियंता
खान एवं भू-विज्ञान विभाग
ब्यावर।